



# कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में  
ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

सूचना का

अधिकार

क्र0/मा0चि0/ 1633  
प्रति,

सिंगरौली, दिनांक 12-05-2022

उप वन मण्डल अधिकारी  
उप वन मण्डल देवसर, गोरबी


विषय:- बैढन-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वन भूमि पर उच्चस्तरीय टंकी एवं वाटर सम्प निर्माण की अनुमति। Proposal No. FP/MP/WATER/154588/2022  
संदर्भ:- महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित परि.क्रि.ई शहडोल का पत्र क्रमांक 632 सिंगरौली, दिनांक 27.04.2022।

-000-

विषयांकित संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का भाग-1 की छायाप्रति संलग्न कर भेजा जा रहा है जिसके संबंध में लेख है म0प्र0 जल निगम मर्यादित परि.क्रिया.ई सिंगरौली द्वारा बैढन-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वन भूमि पर उच्चस्तरीय टंकी एवं वाटर सम्प निर्माण की अनुमति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रस्तावित है। जिसमें वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत कुल रकवा 1.44 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

उपरोक्त वन भूमि का स्थल निरीक्षण कर वृक्षों की गणना सहित प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप-1 एवं 2 में तैयार कर 05 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

- संलग्न :-
1. प्रस्ताव के ऑनलाइन भाग-1 की छायाप्रति।
  2. निर्धारित प्रारूप-1 एवं 2।
  3. के0एम0एल0 फाइल।

  
(मधु व्ही. राज)

वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल सिंगरौली

सिंगरौली दिनांक 12-05-2022

पृ0क्र0/मा0चि0/ 1634


प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित परि.क्रिया.ई सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया प्रकरण से संबंधित निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने का कष्ट करें:-

a. संबंधित उप वन मण्डल अधिकारी से संपर्क स्थापित कर सहयोग प्रदान करें एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं वृक्षों की गणना पत्रक इस कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं उपरोक्त संदर्भित पत्र में लेख है कि विषयांकित प्रकरण का पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-14/ 2005/10-3/भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2012 के निर्देशानुसार प्रकरण में पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क निम्नानुसार जरिये बैंक ड्राफ्ट द्वारा वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली देय बैढन के नाम से जमा करें।

1. पंजीयन शुल्क - 1,000/- (रु. एक हजार मात्र)
  2. प्रोसेसिंग शुल्क - 5,000/- (रु. पाँच हजार मात्र)
- कुल योग - 6,000/- (रु. छह हजार मात्र)

- b. उक्त प्रकरण में प्रभावित वनभूमि रकवा 1.44 हे0 के बदले गैर वन भूमि वन विभाग को प्रदाय करने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करे। कृपया उक्त वनभूमि के बदले प्रदान की जा रही गैर वनभूमि, वनभूमि सीमा से लगी हो यह सुनिश्चित करें।

  
वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल सिंगरौली